अमर उजाला उत्तराखंड दिनांक 27 नवम्बर 2009 पेज 6 - 7

अमर उजाला

शिरकत : गोपेश्वर महाविद्यालय में रैगिंग पर आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत करते छात्र-छात्राएं।

रैगिंग रोकने को अनुशासन जरूरी

राजकीय महाविद्यालय में एंटी रैगिंग को लेकर गोष्ठी आयोजित

गोपेश्वर। राजकीय महाविद्यालय में एंटी रैगिंग को लेकर आयोजित गोष्ठी और छात्रों की वाद-विवाद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय चौधरी ने कहा कि रैगिंग रोकने के लिए कानून और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छात्र यदि अनुशासन में रहेंगे तो वह दंड के भागी नहीं होंगे। जबकि अनुशासन का पालन न करने पर वह दंड के भागी होंगे।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि अनुशासन से रैगिंग रोकी जा सकती है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डा. डीसी नैनवाल ने कहा कि रैगिंग रोके जाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई है, जो महाविद्यालय में किसी तरह की रैगिंग की सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर आरोपी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकती है। इसके अलावा कमेटी को यह अधिकार है कि वह संबंधित छात्र को क्लास से बाहर कर सकती है, महाविद्यालय से निष्कासित कर परीक्षा, छात्र वृत्ति और अन्य लाभों से भी उसे वंचित कर सकती है। इससे पूर्व 'उच्च शिक्षा के स्तर पर रैगिंग अनुशासनहीनता है परंतु इसका समाधान कानून न होकर आत्मअनुशासन का विकास है' विषय पर आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में बोलते हुए भावना जग्गी और विपक्ष में नरेश चंद प्रथम तथा पक्ष में शंकर सिंह और विपक्ष में मनोज खाली दूसरे स्थान पर रहे। गोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम चंद पुरोहित, ज्ञानेंद्र खंतवाल, एसडीएम चमोली देवानंद, डा. डीएन तिवारी, डा. वीपी भट्ट और राकेश पंत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डा. एलएम पांडे ने किया।

कार्यक्रम

वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में भावना और विपक्ष में नरेशचंद रहे प्रथम